राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1030/2025

अफसाना बेगम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, कोटा।
5. प्रहलाद नागर, नर्सिंग ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरनावदा शाहजी जिला बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरनावदा शाहजी जिला बांरा में स्थानान्तरण किया गया है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 का अपीलार्थी के स्थान पर स्थानांतरण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 31.01.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। आलोच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनावश निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को समंजित करने के आशय से जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी के पति

एवीवीएनएल रावतभाटा में तकनीकी–I के पद पर कार्यरत है (अनुलग्नक–4)। पति–पत्नी को एक ही या निकटतम स्थान पर पदस्थापित रखने के लिए स्थानांतरण नीति के विरुद्ध अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से 290 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया गया है, ताकि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समायोजित किया जा सके। अपीलार्थी के दो बच्चे है, जो कक्षा 8 एवं पहली कक्षा में पढ़ रही है। अपीलार्थी की सास वृद्ध महिला है और वह ह्रदय रोग से पीड़ित है और लगातार उपचाराधीन है, जिनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा कोई नही है। अपीलार्थी को सत्र के मध्य में स्थानान्तरित कर दिया गया, जिससे अपीलार्थी के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। अपीलार्थी के बेटे का अध्ययन प्रमाण पत्र अनुलग्नक–5 एवं सास के उपचार संबंधी दस्तावेज अनुलग्नक–6 पर उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर ने मंजू शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में आदेश दिनांक 20.1.2025 (अनुलग्नक–7) द्वारा रिट याचिका को स्वीकार किया तथा स्थानांतरण आदेश को केवल इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वह एक अकेली महिला है तथा घर की एकमात्र कमाने वाली है तथा अपनी मां की देखभाल करती है जो अल्जाइमर से पीड़ित है। अपीलार्थी का प्रकरण भी इसी स्तर पर है क्योंकि अपीलार्थी की सास किडनी और ह्रदय रोगी है तथा अपीलकर्ता के ससुर रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित हैं तथा उनके परिवार में उनकी सास और ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण न्यू मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, कोटा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरनावदा शाहजी जिला बांरा में किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के सम्बन्ध में तथ्य उपलब्ध दस्तावेजो से प्रमाणित नहीं होता है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी. सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts*

of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

आलौच्य आदेश में हम कोई नियमों का उल्लंघन अथवा दुर्भावना नहीं पाते है। आलौच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत जारी किया जाना पाया जाता है।

यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना चाहता है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसके समकक्ष पद पर किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि या दुर्भावना प्रकट नहीं होती है। अतः आलोच्य आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)